

प्रेषक,

एल0 वेंकटेश्वरलू,
सचिव एवं राहत आयुक्त,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
बहराइच।

राजस्व अनुभाग-10

लखनऊ : दिनांक : 09 नवम्बर, 2012

विषय: वर्ष 2011-12 में बाढ़ एवं अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत हेतु वित्तीय वर्ष 2012-13 में धनावंटन। महोदय,

उपर्युक्त विषयक आपके पत्र संख्या-460/आपदा-तेरह-परिसम्पत्ति मरम्मत/12, दिनांक- 25 अक्टूबर, 2012 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वर्ष 2011-12 में बाढ़ से क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों के पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना हेतु शासनादेश संख्या-1256/1-10-12-33 (62)/2012, दिनांक 14 मई, 2012 के द्वारा अन्य जनपदों के साथ जनपद बहराइच को रु0 20.00 लाख से कम की 88 परियोजनाओं/कार्यों हेतु रु0 6,66,65,000/- के सापेक्ष 50 प्रतिशत धनराशि के रूप में रु0 3,33,32,500/- की धनराशि अवमुक्त की गयी थी। उक्त के अनुक्रम में आपके उपरिसन्दर्भित पत्र दिनांक 25 अक्टूबर, 2012 द्वारा सरयू ड्रेनेज खण्ड-प्रथम बहराइच के 18 कार्यों के लिए अवशेष धनराशि रु0 1,66,51,000/- सरयू नहर खण्ड-प्रथम बहराइच के 03 कार्यों के लिए अवशेष धनराशि रु0 28,64,000/- बाढ़ कार्य खण्ड गोण्डा के 02 कार्यों के लिए अवशेष धनराशि रु0 13,47,000/- जल निगम के 45 कार्यों के लिए अवशेष धनराशि रु0 5,51,000/- की धनराशि इंगित/मांग की गयी है। अतः उक्त कार्यों/परियोजनाओं को पूर्ण कराने के लिए निम्नलिखित शर्तों/प्रतिबन्धों के अधीन वर्तमान वित्तीय वर्ष 2012-13 में अवशेष कुल धनराशि रु0 2,14,13,000/- (रुपये दो करोड़ चौदह लाख तेरह हजार मात्र) आपके निर्वर्तन पर रखने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते हैं।

2. उक्त स्वीकृति के फलस्वरूप होने वाला व्यय चालू वित्तीय वर्ष 2012-13 के आय-व्ययक के अनुदान संख्या-51 के अन्तर्गत लेखाशीर्षक "2245-प्राकृतिक विपत्ति के कारण राहत-आयोजनेत्तर-05-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड-800-अन्य व्यय-03-स्टेट डिजास्टर रेस्पान्स फण्ड से व्यय-42-अन्य व्यय" के नामे डाला जायेगा।

3. बाढ़ से तात्कालिक प्रकृति की अपरिहार्य परिस्थितियों वाले अर्ह एवं अनुमन्य श्रेणी की क्षतिग्रस्त सार्वजनिक परिसम्पत्तियों की आगामी वर्षा के पूर्व पुनर्निर्माण/पुनर्स्थापना/मरम्मत मद में धनराशि निर्धारित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन

24

ही व्यय की जायेगी। इस धनराशि का व्यय वित्तीय हस्तपुस्तिका एवं अन्य सुसंगत नियमों/शासकीय निर्देशों के अधीन ही किया जायेगा। इस धनराशि का उपयोग अन्य किसी भी परियोजना हेतु कदापि न किया जाय। प्रकरण में जिन कार्यदायी विभागों/संस्थाओं से उपयोगिता प्रमाण पत्र प्राप्त नहीं हुआ है, उनका निर्धारित प्रारूप पर उपयोगिता प्रमाण पत्र शासन को तत्काल उपलब्ध कराया जाय।

4. उक्त धनराशि का व्यय शा0प0सं0-78/पी0एस0आर0/2012, दिनांक 24.01.2012 के साथ संलग्न पत्र संख्या-32-7/2011-NDM-1, दिनांक 16.01.2012 में भारत सरकार की गाइड लाइंस में निर्धारित एवं अर्ह मानक मदों एवं शासनादेश सं0 2785/1-10-2011-12(73)/2008, दिनांक 14.10.2011, शासनादेश सं0 1349/1-10-2012-12(73)/2008, दिनांक 17.05.2012 के अनुसार किया जायेगा।

5. बाढ़/अतिवृष्टि से क्षतिग्रस्त बुनियादी ढांचा/अधिसंरचना के तात्कालिक प्रकृति के मरम्मत/पुर्ननिर्माण की उक्त परियोजनाओं को तात्कालिक रूप में ससमय पूर्ण कर लिया जाय। राज्य आपदा मोचक निधि की धनराशि का व्यय सक्षम अधिकारी द्वारा वित्तीय एवं प्रशासनिक स्वीकृति प्राप्त करने के उपरान्त नियमानुसार प्रक्रिया का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए निर्धारित अवधि के अन्दर किया जायेगा। तात्कालिक प्रकृति के अपरिहार्य परिस्थितियों वाले मरम्मत/रेस्टोरेशन कार्यों की परियोजनाओं को खण्डों में कदापि विभाजित नहीं किया जायेगा, अपितु निरन्तरता वाले विभिन्न परियोजनाओं को एक ही परियोजना माना जायेगा।

6. उपरोक्त परियोजनाओं के कार्य मानक एवं गुणवत्तापूर्ण कराया जाना सुनिश्चित करने के लिए कार्य की समय-समय पर वीडियोग्राफी/फोटोग्राफी भी करायी जाय तथा उनकी प्रति सीडी शासन को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ संलग्न कर प्रेषित की जाय।

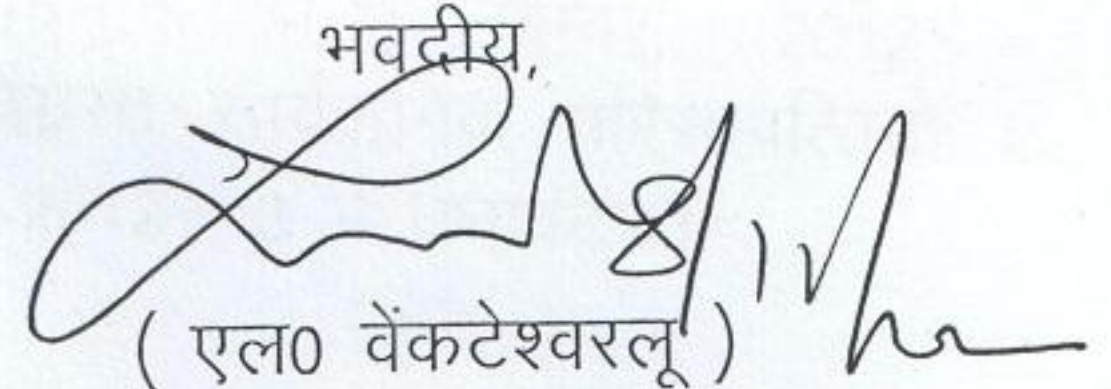
7. कतिपय प्रकरणों में यह भी देखने में आया है कि आवंटित धनराशि एक मुश्त किसी सरकारी विभाग या स्थानीय प्राधिकारी को हस्तगत कराकर अपने कर्तव्य की इतिश्री कर ली जाती है। यह स्थिति उचित नहीं है। निधि से प्रदत्त धनराशि आपदा राहत हेतु प्रदान की जाती है। अतः आपदा के अनुसार राहत की आवश्यकता का निर्धारण करना, तदनुसार धन उपलब्ध कराना तथा इसका सदुपयोग सुनिश्चित कराना, व्यय का पूर्ण विवरण शासन को निर्धारित तिथि तक उपलब्ध कराना तथा वित्तीय नियमों के अन्तर्गत धनराशि निर्गत करना जिलाधिकारी का कर्तव्य है। अतः राज्य आपदा मोचक निधि से प्रदत्त धनराशि का प्रत्येक स्तर पर पूर्ण सजगता के साथ समुचित उपयोग सुनिश्चित किया जाय।

8. आपदा राहत निधि से स्वीकृत धनराशि का जिला स्तर पर समुचित लेखा-जोखा रखा जाय तथा माह के अन्त में लेखा रजिस्टर जिलाधिकारी द्वारा हस्ताक्षरित किया जाय और मदवार मासिक व्यय विवरण शासनादेश संख्या-1693/1-11-2005-रा0-11, दिनांक 20 जून, 2005 द्वारा प्रसारित प्रारूप पर अगले माह की 05 तारीख तक उपलब्ध कराने के साथ ही उक्त तिथि तक इसे राहत वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर भी फीड

करवाना सुनिश्चित किया जाय। शासन द्वारा आवंटित धनराशि में से यदि बचते संभावित हों तो उन्हें अविलम्ब/31 मार्च, 2013 से पूर्व शासन को समर्पित कर दिया जाय।

9. उक्त धनराशि का उपयोगिता प्रमाण-पत्र वित्तीय हस्तपुस्तिका खण्ड-5 भाग-1 के प्रस्तर-369 एच के अधीन निर्धारित प्रारूप संख्या-42 आई में शासन को अविलम्ब उपलब्ध कराया जाय।

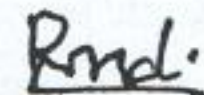
10. व्यय की धनराशि का महालेखाकार कार्यालय में सही मदों में पुस्तांकन कराया जाय और प्रत्येक माह में महालेखाकार कार्यालय से आंकड़े समाधानित एवं सत्यापित कराकर शासन को सूचित किया जाय।

भवदीय,

(एल० वेंकटेश्वरलू)
सचिव एवं राहत आयुक्त।

संख्या : 2413 / 1-10-2012-33(62) / 2012 टी०सी०-14 तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- महालेखाकार-प्रथम/आडिट प्रथम, उ०प्र० इलाहाबाद
- 2- आयुक्त, देवीपाटन मण्डल, गोण्डा/प्रमुख सचिव, सिंचाई/नगर विकास विभाग/प्रमुख अभियन्ता, सिंचाई विभाग/प्रबन्ध निदेशक, उ०प्र० जल निगम।
- 3- आयुक्त एवं सचिव, राजस्व परिषद, उ०प्र०, लखनऊ।
- 4- वरिष्ठ तकनीकी निदेशक, एन०आई०सी०, योजना भवन, लखनऊ को राहत की वेबसाइट <http://rahat.up.nic.in> पर अपलोड किये जाने हेतु।
- 5- वरिष्ठ वित्त एवं लेखाधिकारी, कार्यालय राहत आयुक्त, उ०प्र०।
- 6- मुख्य कोषाधिकारी/कोषाधिकारी, बहराइच।
- 7- वित्त व्यय नियंत्रण, अनुभाग-5।
- 8- समीक्षा अधिकारी (लेखा) राजस्व अनुभाग-10/राजस्व अनुभाग-6/11, राहत वेबसाइट के उपयोगार्थ।
- 9- निजी सचिव, प्रमुख सचिव राजस्व विभाग।
- 10- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(आर० एन० द्विवेदी)
अनु सचिव।